कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
(अधिष्ठान–अनुभाग)
अनपरा तापीय परियोजना
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
पत्रालय–अनपरा, सोनभद्र।

पत्रांकः /मु0म0प्र0/अधि0/अ0ता0प0/ ई-2 दिनांकः 30 /07/2019

श्री सत्य प्रकाश,
पुत्र श्री साधु लाल श्रीवास्तव,
निवासी–1–बी–70, विद्युत विहार कालोनी,
एन0टी0पी0सी0, शक्ति नगर,
जिला–सोनभद्र (उ0प्र0)

विषयः उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिक) संवर्ग में नियुक्ति।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0 3353/2019, एस0एल0पी0 सं0 371/2017 (सत्य प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 एवं निगम मुख्यालय के आदेश सं0 1877–मा0सं0–03/उनिलि/2019 दिनांक 26.07.2019 के अनुपालन में सीधी भर्ती द्वारा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिक) पद पर आपकी नियुक्ति संलग्न सेवा शर्तों (परिशिष्ट–1) के अधीन की जाती है।

2. आपको अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिक) के रूप में अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा (सोनभद्र) पर तैनात किया जाता है।

3. यह नियुक्ति मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 के अनुपालन में विशेष परिस्थितियों में की जा रही है। इसे भविष्य में किसी भी अन्य प्रकरण हेतु नजीर नहीं माना जायेगा।

4. कार्य ग्रहण करने के समय आपको दो प्रतियों में निम्नलिखित प्रमाण–पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध–पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैं :–

(1) प्रमाण पत्र

(अ) दो, उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धी न हो) से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आपसे भली–भांति परिचित हो एवं आपके विश्वविद्यालय, कालेज अथवा स्कूल से सम्बन्धित न हों।

(ब) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण–पत्रों एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।

(स) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त कार्यमुक्ति पत्र, (यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं)। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि इस सम्बन्ध में बाद में कोई सूचना छिपायी गयी अथवा असत्य संज्ञान में आती है तो चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(क्रमशः ......पेज 2 पर)

(द) **उ0प्र0 शासन द्वारा बन्द हो चुके सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक उपक्रम के अभ्यर्थियों हेतुः–**

विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग के पुनर्वासित अथवा बन्दी के सम्बन्ध में कर्मचारी की अद्यतन वैद्यता का प्रमाण–पत्र संलग्न परिशिष्ट 'छ' में दिये गये प्रारूप पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(य) किसी जनपद के सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

(र) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'झ') पर प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए)

(2) <u>घोषणा पत्र</u>

(अ) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में

(ब) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में विवरण सहित घोषणा–पत्र।

(स) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत गृह सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।

(द) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा–पत्र परिशिष्ट 'ख में निर्धारित प्रपत्र पर।

(य) राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(र) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में सेवारत न होने के सम्बन्ध में घोषणा परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(ल) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियो में) परिशिष्ट 'ज' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(3)– बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिये। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में सेवा शर्तों के मद प्रस्तर–4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मैजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद प्रस्तर–4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप में संलग्न है। बन्ध पत्र नान–ट्रांसफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(क्रमशः ......पेज 3 पर)

6– यदि नियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्तें आपको स्वीकार है तो अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30.08.2019 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपने समस्त प्रमाण पत्रों, घोषणा–पत्रों एवं बन्ध–पत्र इत्यादि सहित कार्य ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों। वांछित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्रों एवं बन्ध–पत्र में से किसी एक के भी न होने, अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7– आपकी नियुक्ति निगम के बृहद ताप विद्युत गृह के संचालन एवम् स्थापित संयत्रों/मशीनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु की जा रही है। अतः इन कार्यों के निर्वहन हेतु आपको सेवा काल के प्रारम्भिक दस वर्षों में निगम के ताप विद्युत गृह/गृहों में अनिवार्य रूप से तैनात रहना होगा।

8– यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा।

9– अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिक) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं किसी भी समय बिना पूर्व सूचना अथवा बगैर कोई कारण इंगित किये समाप्त की जा सकती है।

10– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में यह नियुक्ति पूर्णतया अनन्तिम है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से जाति सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि सत्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

11– झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय,

(अखिलेश कुमार)
<u>मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक</u>

<u>पत्रांक 1910 /मु0म0प्र0/अधि0/अताप/ तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओंबरा (सोनभद्र)।
4. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, के0वि0ले0 एवं ब0सं0, 'अ'ताप, अनपरा।
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. कट फाइल।

(अखिलेश कुमार)
<u>मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक</u>